न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माथीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–26/2017 प्रार्थना पत्र

1. गीतांजली ग्रेनाइट रघुनाथपुरा जरिये पार्टनर सुवा आत्मज लच्छू गुर्जर, लाखाराम आत्मज गोपी गुर्जर, ईश्वरलाल आत्मज गोपी गुर्जर निवासी गोरधनपुरा तह0 करेडा एवं संगीता पत्नि भैरू लाल रांका निवासी खांखला तह0 सहाडा जिला भीलवाडा(राज0)

---प्रार्थी

वनाम

1. श्री धन्नानाथ आत्मज भैरानाथ जोगी निवासी वागजणा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
2. श्री लक्ष्मणनाथ आत्मज भैरानाथ जोगी निवासी बागजणा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
3. श्री देवीनाथ आत्मज भैरानाथ जोगी निवासी बागजणा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
4. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

---विपक्षीगण

------

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री राकेश जैन – अधिवक्ता–प्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांकः– 12.02.2018

प्रार्थी के द्वारा न्यायालय विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर मौजा ग्राम रघुनाथपुरा तह0 करेडा के खाता संख्या 133 की आ0 न0 361 रकबा 1 बीघा, आ0न0 362 रकबा 1.05 बीघा, आ0न0 363 रकबा 0.10 बीघा, आ0न0 364 रकबा 0.03 बीघा, 366 रकबा 0.09 बीघा, 370 रकबा 3.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 6.07 बीघा एवं खाता संख्या 134 की आ0न0 358 रकबा 0.08 बीघा, आ0न0 359 रकबा 0.10 बीघा एवं आ0न0 360 रकबा 4.05 कुल किता 3 रकबा 5.03 बीघा के खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजी पर आने जाने का कदीमा रास्ता ग्राम बागजणा तह0 करेडा में स्थित आ0न0 587 गे0मु0 रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ग्राम बागजणा की आराजी नम्बर 585 रकबा 1.03 बीघा की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 360 में प्रवेश करता है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आ0 न0 585 रकबा 1.03 बीघा में 30 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे में दर्ज करने की आज्ञा फरमावें।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने से पंजीबद्ध कर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण की और से अधिवक्ता शरद कुमार पालीवाल ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाइल किया गया। न्यायालय द्वारा मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेडा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

पत्रावली इस न्यायालय को उपखण्ड न्यायालय नवीन सृजित हो जाने से न्यायालय मांडल से यहां अंतरित होकर प्राप्त हुई। तत्पश्चात् संबधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं पेशियों की निर्धारित हो जाने की सूचना बार एसोसिएशन मांडल को भेजी गई।

पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित पेशी पर पेश हुई, पक्षकारों को आवाज लगाई गई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये व विपक्षीगण की और से कोई उपस्थित नहीं होने से न्यायालय समय तक इंतजार करने के बाद पूर्व की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर अब तक विपक्षीगण की और से आवश्यक एवं शीघ्र निस्तारण की प्रकृति के मामले को मध्यनजर रखते हुए जवाब का कोई अन्य कोई अवसर दिया जाना उचित न समझते हुये विपक्षीगण की जवाबदेही को बंद की जाकर एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित कर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस, एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की और इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, रांज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार गीतांजली ग्रेनाइट रघुनाथपुरा जरिये पार्टनर सुवा आत्मज लच्छू गुर्जर, लाखाराम आत्मज गोपी गुर्जर, ईश्वरलाल आत्मज गोपी गुर्जर निवासी गोरधनपुरा तह० करेडा एवं संगीता पत्नि भैरू लाल रांका निवासी खांखला तह० सहाडा जिला भीलवाडा(राज०) के नाम पर ग्राम रघुनाथपुरा तह० करेडा की खाता संख्या 133 की आ० न० 361 रकबा 1 बीघा, आ०न० 362 रकबा 1.05 बीघा, आ०न० 363 रकबा 0.10 बीघा, आ०न० 364 रकबा 0.03 बीघा, 366 रकबा 0.09 बीघा, 370 रकबा 3.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 6.07 बीघा एवं खाता संख्या 134 की आ०न० 358 रकबा 0.08 बीघा, आ०न० 359 रकबा 0.10 बीघा एवं आ०न० 360 रकबा 4.05 कुल किता 3 रकबा 5.03 बीघा के नाम दर्ज रेकार्ड है। ग्राम बागजणा की आ० न० 585 रकबा 1.03 बीघा विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू नहीं है तथा उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी व ग्राम के व्यक्तियों के अनुसार प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में आ०न० 585 रकबा 1.03 बीघा में से 02 बिस्वा भूमि आती है। रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षीगण को देय है प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड व मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार प्रार्थनापत्र में अंकित आराजियात

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

खनिज उद्योग की भूमि है तथा वेकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है इसलिए अन्य रास्ता दिया जाना उचित नही समझती हु। प्रार्थीगण अपने प्रार्थनापत्र को सावित भी नही करा पाया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही ठहरता है।

:: आदेश ::

अतएव प्रार्थीगण का आवेदन सारहिन होने से अस्वीकार किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखील दपतर हों।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
[illegible] जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner